(12)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

कमरा नं. 09, कलेक्ट्रेट परिसर, कलेक्ट्रेट, नयापुरा, कोटा, राज.–074423258

GCMS NO.-2022/540
मिसल नम्बर–127 / 2022

1.राधेश्याम पुत्र रामचन्द्र जाति जाट
2.गोपी बाई पत्नि रामचन्द्र आयु 76 वर्ष जाति जाट
3.दानमल पुत्र श्री रामचन्द्र जी आयु 65 वर्ष जाति जाट
4.प्रेमनारायण पुत्र श्री रामचन्द्र जी आयु 55 वर्ष जाति जाट
5.फूलचंद पुत्र रामचन्द्र आयु 45 वर्ष जाति जाट निवासीगण ग्राम उम्मेदपुरा तहसील लाडपुरा उप तहसील मण्डाना जिला कोटा राज0

प्रार्थीगण।

बनाम

1.राजू उर्फ राजेश पुत्र श्री बाबूलाल जी जाति ब्राहम्ण
2.देवीचरण उर्फ टिल्लू पुत्र श्री बाबूलाल जी जाति ब्राहम्ण
3.रेखा पत्नि नन्दकिशोर पुत्री बाबूलाल जी जाति ब्राहम्ण
4.राहुल पुत्र नन्दकिशोर जाति ब्राहम्ण
5.दीपिका पुत्री नन्दकिशोर जाति ब्राहम्ण निवासीगण ग्राम उम्मेदपुरा तहसील लाडपुरा उपतहसील मण्डाना जिला कोटा हाल निवासी राजेन्द्र मेहता जी का मकान, रामगंजमण्डी इन्द्रप्रस्थ कोलोनी जिला कोटा
6.राजस्थान राज्य जरिये जिला कलेक्टर कोटा जरिये तहसीलदार तहसील लाडपुरा जिला कोटा

अप्रार्थीगण।

–:निर्णयः–

(राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए के तहत् प्रार्थना पत्र।)

दिनांक 19/3/26

उपस्थितिः–
1.श्री लोकेश नन्दवाना अधिवक्ता प्रार्थीगण ।
2.श्री जितेन्द्र नामा अधिवक्ता अप्रार्थीगण।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए के तहत् प्रार्थना–पत्र प्रार्थी की ओर से जर्ये अधिवक्ता प्रस्तुत हुआ। प्रार्थना–पत्र का अवलोकन किया गया जिसमें निवेदित सक्षेंपित तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण ग्राम उम्मेदपरा उप तहसील मण्डाना तहसील लाडपुरा जिला कोटा के रहने वाले है । तथा व्यवसाय से काश्तकार है। प्रतिवादीगण भी व्यवसाय से काश्तकार है तथा ग्राम उम्मेदपुरा उप तहसील मण्डाना तहसील लाडपुरा जिला कोटा के रहने

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

13

वाले है। प्रार्थीगण की काश्त योग्य जमीन वाके ग्राम उम्मेदपुरा तहसील लाडपुरा पटवार हल्का काल्याखेडी जिला कोटा राज० में स्थित है जिसका पुराना खाता नम्बर 21 नया खाता नम्बर 25 खसरा सं०–393/ 433, 393/434, 393/435 है। जिसका रकबा क्रमशः 2.5400, 2.4800, 2.4800, 08300 कुल किता 4 कुल क्षैत्रफल 8.3300 हैक्टर है। अप्रार्थीगण की काश्त की जमीन भी वाके ग्राम उम्मेदपुरा तहसील लाडपुरा जिला काटा में स्थित है जिसका खसरा सं0–62, 223, 394, 394/472 है। जो कि अन्य काश्तकार के खाता सं०–381, 396/452 के साथ मेर के सहारे सहारे स्थित है। अप्रार्थीगण की उपरोक्त काश्तयोग्य भूमि गांव की बस्ती से प्रार्थीगण के खेत में जाने के मध्य स्थित है। प्रार्थीगण अपने पूर्वजो के समय से ही अप्रार्थीगण की काश्त की जमीन पर स्थित 20 फुट रास्ते से अपने खेतो में आते जाते रहे हैं। तथा प्रार्थीगण के कृषि उपकरण, ट्रेक्टर तथा जानवर इत्यादि भी उपरोक्त स्थान से ही प्रार्थीगण के खेतो में आते जाते रहे है। उपरोक्त रास्ता खसरा सं०–381, 396/ 452 के सहारे मेर के बाद अप्रार्थीगण की उपरोक्त काश्तयोग्य जमीन जिसका उल्लेख प्रार्थना पत्र की पैरा सं०–3 किया गया है, पर बना हुआ है। अप्रार्थीगण ने अपने खेत पर पक्का निर्माण करवाना आरंभ कर दिया इस पर प्रार्थीगण ने सम्मानीय न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र दिनांक 6.12.2021 दिया तो तत्समय उपस्थित पीठासीन अधिकारी श्रीमती सुनीता डागा साहब ने सम्बन्धित अधिकारियो को इस आशय का आदेश जारी किया कि अप्रार्थीगण द्वारा उपरोक्त खेत कराये जा रहे निर्माण को तोड कर रास्ता खुलासा कर प्रार्थीगण को अपने खेतो में आने जाने का 20 फीट का रास्ता उपलब्ध करावे जिससे कि प्रार्थीगण के कृषि उपकरण एवं अन्य साज सामान आसानी से प्रारथीगण के खेतो पर आ जा सके तथा ले जाये जा सके। इस पर प्राथीगण को रास्ता उपलब्ध कराया गया किन्तु विगत दीपावली के बाद अप्रार्थीगण ने उपरोक्त स्थान पर पुनः पक्का न्माण करवाना प्रारंभ कर दिया इस पर प्रार्थीगण ने श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय को प्रार्थना पत्र दिया तथा रास्ता खुलासा कर उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रार्थना की तो सम्माननीय जिंला कलेक्टर महोदय ने सम्बन्धित अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही हेतु कहा तो सम्माननीय महोदय ने प्रार्थना पत्र समुचित रिपोर्ट हेतु सम्बन्धित तहसीलदार एवं हल्का पटवारी की एचुवल वस्तुस्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया तो सम्बन्धित क्षैत्र के कानूनगो महोदय एवं पटवारी ने मौके पर जाकर प्रार्थीगण को मामले की लीपापोती कर अन्य जगह से रास्ते हेतु जगह बताने को कह दिया तथा प्रार्थीग्ण से यह कह दिया के इधर से आ जाओ उधर से आ जाओ तथा मामले की पूर्णतः लीपापोती कर दी तथा कोई कार्यवाही नही की गई। जबकि प्रार्थीगण के खेतो पर जाने के लिए अप्रार्थीगण के खेतो की मेर के सहारे अप्रार्थीगण की काश्तयोग्य भूमि पर बने रास्ते का पिछले 200 वर्षों से प्रार्थीगण एवं अन्य काश्तकार पीढी दर पीढी उपयोग करते आ रहे है। कानूनगो महोदय ने हल्का पटवारी महोदय ने जो आने जाने के सुझाव दियें है वहां से आना जाना कदापि सम्भव नही है क्योंकि वह स्थान खाल है तथा खाल से ना तो प्रार्थीगण खेतो मे आ जा सकते है ना ही अपने जानवरो को ले जा सकते है ऐसी स्थिति में कृषि उपकरणो ट्रेक्टर इत्यादि का ले जाना तो तनिक

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

मात्र भी संभव नही है। अप्रार्थीगण द्वारा वादग्रस्त स्थान पर निर्माण प्रारंभ कर दिये जाने के कारण प्रार्थीगण का खेतो पर आना जाना असंभव हो गया है तथा कृषि उपकरण तथा ट्रेक्टर ले जाना तो कदापि संभव नही हो रहा है प्रार्थिगण की खेतो की हकाई, जुताई, निराई एवं अन्य कृषि कार्यों मे काफी कठिनाई आ रही है तथा प्रार्थीगण के खेतो में बोई गई फसलो के सूख जाने तथा आगामी सीजन में खेतो की पड़त रह जाने की संभावना से इंकार नही किया जा सकता है प्रार्थीगण एवं प्रार्थीगण के कृषि उपकरण ट्रेक्टर इत्यादि को अप्रार्थीगण के कृषि स्थान जहां पर कि अप्रार्थीगण ने पक्का निर्माण करवा रहे है को रोक कर तथा जो निर्माण करवा लिया गया है को तोड कर प्रार्थीगण को 20 फीट मार्ग अपने काश्तयोग्य भूमि पर आने जाने के लिए उपलब्ध करवाया जाना अत्यन्त आवश्यक है अन्यथा प्रार्थीगण की आजीविका का साधन उपरोक्त खेती है, के समक्ष भुखो मरने की नौबत आ जायेगी। प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण को समझाने का काफी प्रयास किया गया किन्तु अप्रार्थीगण द्वारा एक दूसरे के उपर बात ढोल दी तथा कहा कि हमारे परिवार मे अलग अलग हिस्से हो गये है जो निर्माण हो रहा है वो अप्रार्थी क्रम–3 लगायत 5 के हिस्से वाली भूमि पर है तथा 3 लगायत 5 से बात करने पर अप्रार्थी क्रम–3 लगायत 5 ने कहा कि निर्माण अप्रार्थी क्रम–1 व 2 द्वारा करवाया जा रहा है तथा निर्मण ना रोककर टालमटोल की बात हो रही है। अतः सम्माननीय न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र के पैरा सं०–2, 3 व 4 में उल्लेखित विवरणो वाली प्रार्थीगण की काश्तयोग्य भूमि पर आने जाने के मार्ग पर अप्रार्थींगण द्वारा किये गये निर्माण को तुडवाकर प्रार्थीगण को अपने काश्तयोग्य भूमि पर मय ट्रेक्टर एवं कृषि उपकरण जाने के लिए 20 फीट रास्ता उपलब्ध कराये जाने के आदेश निर्णय डिग्री पारित फरमावे तथा अप्रार्थींगण को भविष्य में उपरोक्त स्थान पर कभी भी कोई भी निर्माण करवाये जाने से रोके जाने के आदेश निर्णय डिग्री भी पारित फरमावे।

प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस प्रेषित कर जवाब हेतु तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि खसरा नम्बर 396/452 की भूमि प्रार्थीगण की भूमि के सहारे स्थित नहीं है ओर उसकी मेर के सहारे कोई 20 फीट का रास्ता बना हुआ नहीं है। बल्कि खसरा नम्बर 381 के उत्तर दिशा में ख० न0 387 व 388 की भूमि की मेर आपस में लगी हुई है। ख०न0 387 व 381 की भूमि रास्ते की भूमि ख०न० 379 से मिली हुई है। जहां से प्रार्थीगण आते जाते रहे है। खसरा नम्बर 381 की भूमि के दक्षिण दिशा में प्रतिपक्षीगण की खसरा नम्बर 394/472 व 394 की भूमि स्थित है खसरा नम्बर 62 व 223 की भूमि अन्य स्थान पर स्थित है। प्रतिपक्षीगण के खाते की भूमि के सहारे कोई रास्ता नहीं है और न रास्ता बना हुआ था और न रास्ता है। प्रार्थीगण ने प्रतिपक्षीगण की भूमि के सहारे मेड पर होकर अभी भी रास्ते का उपयोग आने जाने जानवर व कृषि उपकरण व ट्रेक्टर इत्यादि को लाने ले जाने हेतु नहीं किया गया। प्रतिपक्षीगण की भूमि के सहारे प्रार्थीगण के खेत

उपखण्ड अधिकारी
डोई

में जाने का कोई रास्ता कभी नही रहा है। ओर न 200 वर्षों से उपयोग व उपभोग किया है बल्कि प्रार्थीगण ख०न0 381 के उत्तर दिशा में स्थित ख०न0 387 व 388 की मध्य की मेड पर होकर आते जाते रहे है। प्रार्थीगण प्रतिपक्षीगण के निर्माण कार्य को द्वेषता वश तुडवाना चाहते है और रास्ता कायम करवाने चाहते है। जिसका प्रार्थीगण को कोई अधिकार नहीं है। प्रार्थना पत्र में जो मोका रिपोर्ट प्रस्तुत होकर रास्ता बताया गया है वह सुविधाजनक है। प्रार्थीगण के पास वेकल्पिक रास्ता मोजूद है। प्रार्थीगण के पास दो दो वेकल्पिक रास्ता मोजूद है। उसका उपयोग रास्ते के रूप में प्राथीगण कर रहे है। प्रार्थीगण को किसी प्रकार की क्षति कारित नहीं हो रही है। इस कारण खसरा नम्बर 381 की भुमि के दक्षिण दिशा में प्रतिपक्षीगण की खसरा नम्बर 394/472 व 394 की भुमि में रास्ता कायम करने का प्रार्थीगण को कोई अधिकार नहीं है । प्रतिपक्षीगण द्वारा जो भी निर्माण किया जा रहा है खाते की भूमि पर ही किया जा रहा है किसी रास्ते की भूमि पर नहीं किया जा रहा है। प्रार्थीगण ने सर्वथा गलत असत्य रूप से मनगढन्त तथ्य अंकित कर असदभाविक रूप से प्रार्थना पत्र पेश किया है जो खारिज होने योग्य है। प्रतिपक्षीगण के खाते की भूमि खसरा नम्बर 62 व , 223, 494 व 394/427 की भूमि पर अथवा उसकी मेड पर कभी भी कोई रास्ता कायम नहीं रहा है। प्रार्थीगण हमेश से ख०न0 381 की भूमि के उत्तर दिश में स्थित खसरा नम्बर 387 व 388 की मेड पर होकर आते जाते रहे है जो रास्ते की भूमि ख०न0 379 से मिलती है। इसके अलावा पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट में जो वैकल्पिक रास्ता बताया है उससे भी आते जाते रहे है। व अपने ट्रेक्टर ट्रोली व कृषि मशीनरी आदि इसी रास्ते से होकर लाते व ले जाते रहे है। इस कारण प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है। प्रतिपक्षीगण ने अपनी ही खाते की भूमि पर कृषि उपयोग हेतु निर्माण किया है। जिसको तुडवाने, हटवाने का प्राथीगण को कोई अधिकार नहीं है और न निर्माण को तुडवा कर रास्ता कायम करने का अधिकार प्राप्त है इस कारण भी प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है। मोके पर प्रतिपक्षीगण की भूंमि खसरा नम्बर 62, 223, 394, 394/427 की भूमि अथवा मेड पर रास्ता कायम नहीं है और न उक्त रास्ता राजस्व रिकार्ड में अंकित किया हुआ है ओर प्रतिपक्षीगण की भूमि पर होकर कभी भी पारम्परिक रास्ता नहीं रहा है। मोके पर कोई रास्ता नहीं है । प्रार्थीगण को प्रतिपक्षीगण की भूमि पर रास्ता कायम करवाने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है क्योंकि प्रार्थिगण पूर्व से ही उपर वर्णित वैकल्पिक रास्ते से होकर आते जाते रहे है इस कारण प्रार्थीगण को नया रास्ता कायम करवाने का अधिकार नहीं है। लेकिन जानबुझ कर प्रतिपक्षीगण को परेशान करने की नियत से यह प्रार्थना पत्र पेश किया है। यदि प्रतिपक्षीगण की भूमि में से प्रार्थीगण को यदि नया रास्ता कायम करने हेतु भूमि दे दी गयी तो प्रार्थीगण प्रतिपक्षीगण की भूमि को लेकर व रास्ते को लेकर आये दिन विवाद पैदा करेगें व प्रतिपक्षीगण का काश्त करना मुश्किल हो जावेगा व भूमि कम हो जावेगी तथा काश्त के काबिल नहीं रहेगी। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज फरमाया जावे। तथा प्रार्थीगण को अप्रार्थीगण की भूमि ख0नं0 62,

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

१८

223, 394, 394/427 की भूमि में होकर 25 फीट का रास्ता कायम करने का आदेश प्रदान नहीं किया जावे।

प्रकरण में तहसीलदार दिनांक 03.06.2024, 18.12.2024 एवं दिनांक 25.08.2025 रिपोर्ट प्राप्त की गई। न्यायालय हाजा द्वारा स्वयं ने मौका देखा गया। तहसीलदार द्वारा अपनी रिपोर्ट में अंकित किया है कि उभयपक्षकारान की उपस्थिति मे मौका देखा गया। वादीगण के मुताबिक पूर्व का रास्ता जो वादी के खेत में जाता था उसकी शुरूआत ख0नं0 366 के बाद प्रतिवादी के ख0नं0 394/472 में प्रतिवादी ने मकान बना दिया है। बाद मकान प्रतिवादी का खेत तत्पश्चात वादीगण का खेत है। वादीगण उक्त मकान की जगह में होकर प्रतिवादी के खेत में होते हुए अपने खेतों में जाना चाहते है। वादीगण रास्ते में काम आने वाली प्रतिवादी की जमीन व प्रतिवादी के मकान की क्षतिपूर्ति नियमानुसार देने को तैयार है। प्रतिवादी राजेश शर्मा का कथन है कि वादीगण द्वारा वांछित रास्ता मेरे खेत ख0नं0 394, 394/472 में से देने में मेरी सहमति नहीं है। श्री जगदीश लोधा के खेत और मेरे मकान की बीच जो रास्ता छोड़ा हुआ है वह केवल मेरे खेत में जाने के लिए है। जबकि ख0नं0 366 (सिवायचक) से 15 मीटर दूरी तक प्रतिवादी राजेश शर्मा के मकान के पीछले कोने तक 5 मीटर चौड़ा रास्ता राजेश शर्मा व जगदीश लोधा की भूमि ख0नं0 381 में प्रस्तावित है तत्पश्चात ख0नं0 394 में से 381 की मेड के सहारे सहारे 5 मीटर चौड़ा रास्ता दिया जाना प्रस्तावित है। प्रतिवादी राजेश शर्मा का कथन है कि ख0नं0 379 से 380 की मेड़ के सहारे ख0नं0 381 में होकर सतीश बैरागी राजेश मेघवाल, सत्यनारायण अहीर, दुर्गालाल अहीर व अन्य व्यक्तियों के खेतों में जाने का रास्ता है लेकिन मौके पर रास्ते के निशानात नहीं है। उभय पक्षकारान को सुना जाकर उभयपक्षों की मत को लेखबद्ध करने के उपरान्त ख0नं0 366 से 394/472 प्रतिवादी के मकान की बाउन्ड्री व ख0नं0 381 में 5 मीटर चौड़ा और 15 मीटर लम्बा तथा प्रतिवादी के मकान के पीछे से 381 की मेड़ के सहारे ख0नं0 394 में से 5 मीटर चौड़ा और 128 मीटर लम्बा रास्ते हेतु प्रस्तावित है। वर्तमान में खसरा नं0 394 के खातेदार द्वारा स्वयं की आराजी के उत्तरी पूर्वी कोने पर पक्के मकान का निर्माण कर रखा है। मकान से लगभग 5–6 फीट की दूरी पर ही एक बबूल का पेड है। 6–7 फीट की दूरी होने से आने जाने में कृषि कार्य हेतु पेरशानी आ रही है। मेड व अप्रार्थी के मकान के पीछे पेयजल परियोजना की पाईनलाइन का बड़ा सरकारी वाल्व लगा हुआ है। समीपस्था खातेदार की आराजी खसरा नं0 381 में प्रचलित रास्ता नही होने से आने जाने में परेशानी आ रही है। प्रार्थीगण के द्वारा खसरा नं0 394 व 381 की मेड से ही 128 मी0 लम्बा एवं 5 मी0 चौडा रास्ता कृषि कार्य हेतु, काम में लिया जा रहा है। जिसकी पुष्टि उपस्थित समीपस्थ खातेदारों द्वारा की गई। वर्तमान में अप्रार्थीगण द्वारा उक्त प्रचलित रास्ते का उपयोग किये जाने से वाद विवाद किया जा रहा है।

हमने प्रार्थीपक्ष अभिभाषक की बहस सुनी। अप्रार्थीगण की ओर से अपने समर्थन में लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि खसरा नम्बर 396/452 की भूमि प्रार्थीगण की भूमि के सहारे स्थित नहीं है ओर उसकी मेर के सहारे कोई

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

20 फीट का रास्ता बना हुआ नहीं है। बल्कि खसरा नम्बर 381 के उत्तर दिशा में ख० न0 387 व 388 की भूमि की मेर आपस में लगी हुई है। ख०न0 387 व 381 की भूमि रास्ते की भूमि ख०न० 379 से मिली हुई है। जहां से प्रार्थीगण आते जाते रहे है। खसरा नम्बर 381 की भूमि के दक्षिण दिशा में प्रतिपक्षीगण की खसरा नम्बर 394/472 व 394 की भूमि स्थित है खसरा नम्बर 62 व 223 की भूमि अन्य स्थान पर स्थित है। प्रतिपक्षीगण के खाते की भूमि के सहारे कोई रास्ता नहीं है और न रास्ता बना हुआ था और न रास्ता है। प्रार्थीगण ने प्रतिपक्षीगण की भूमि के सहारे मेड पर होकर अभी भी रास्ते का उपयोग आने जाने जानवर व कृषि उपकरण व ट्रेक्टर इत्यादि को लाने ले जाने हेतु नहीं किया गया। प्रतिपक्षीगण की भूमि के सहारे प्रार्थीगण के खेत में जाने का कोई रास्ता कभी नही रहा है। ओर न 200 वर्षों से उपयोग व उपभोग किया है बल्कि प्रार्थीगण ख०न0 381 के उत्तर दिशा में स्थित ख०न0 387 व 388 की मध्य की मेड पर होकर आते जाते रहे है। प्रार्थीगण प्रतिपक्षीगण के निर्माण कार्य को द्वेषता वश तुडवाना चाहते है और रास्ता कायम करवाने चाहते है। जिसका प्रार्थीगण को कोई अधिकार नहीं है। प्रार्थना पत्र में जो मोका रिपोर्ट प्रस्तुत होकर रास्ता बताया गया है वह सुविधाजनक है। प्रार्थीगण के पास वेकल्पिक रास्ता मोजूद है। प्रार्थीगण के पास दो– दो वेकल्पिक रास्ता मोजूद है। उसका उपयोग रास्ते के रूप में प्राथीगण कर रहे है। प्रार्थीगण को किसी प्रकार की क्षति कारित नहीं हो रही है। प्रस्तुत प्रकरण में मौका रिपोर्ट दिनांक 08.07.2025 पेश हुई उसमें नायब तहसीलदार मण्डाना के हस्ताक्षर नही है यही नही एक मोका रिपोर्ट दिनांक 07.11.2024 की पेश की गयी है उस पर भी केवल मात्र पटवारी हल्का व आईएलआर के हस्ताक्षर है व तहसीलदार के हस्ताक्षर नही है इसके पूर्व भी दिनांक 17.05.2024 को भी मोका रिपोर्ट प्रस्तुत की गई उसमें भी पटवारी हल्का व आईएलआर के हस्ताक्षर है व तसहीलदार के हस्ताक्षर नही है। बिना तहसीलदार के हस्ताक्षर के मौका रिपोर्ट मान्य नही है इस मोका रिपोर्ट पढे जाने जाने योग्य नही है। प्रस्तुत प्रकरण में प्रतिपक्षीगण द्वारा उच्च अधिकारी अथवा तहसीलदार अथवा समकक्ष सक्षम अधिकारी द्वारा विवादित स्थल का मौका मुआयना कर मौका रिपोर्ट मंगवाने हेतु कई आवेदन पत्र पेश किये किन्तु आज तक भी तहसीलदार द्वारा मौका देख कर मौका रिपोर्ट प्रस्तुत नही किया गया है इस कारण प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही है व खारिज होने योग्य है।

प्रार्थीगण के अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से यह बहस की गई कि प्रार्थीगण को अपनी आराजी पर पहुॅच हेतु मार्ग उपलब्ध कराया जावे।

हमने वाद पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रार्थना पत्र तथा प्रार्थीपक्ष की बहस पर गंभीरतापूर्वक मनन किया। तहसीलदार रिपोर्ट में स्पष्टतया अंकित है कि प्रार्थीगण की आराजी पुराना खाता नम्बर 21 नया खाता नम्बर 25 खसरा सं०–393/ 433, 393/434, 393/435 में पहुॅचने के लिए अन्य कोई वैकल्पिक व्यवस्था नही है। उक्त परिस्थिति में समीप स्थित खसरा नम्बर से रास्ता दिया जाना प्रस्तावित है इस हेतु तहसील रिपोर्ट में ख0नं0 381 में 5 मीटर चौड़ा और 15 मीटर लम्बा तथा प्रतिवादी के मकान के

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

(16)

पीछे से 381 की मेड़ के सहारे ख0नं0 394 में से 5 मीटर चौड़ा और 128 मीटर लम्बा रास्ता प्रस्तावित किया गया।

हमने धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं संशोधित धारा 251–क से ससम्मान मार्गदर्शन प्राप्त किया। राजस्थान राजपत्र, सितम्बर 06, 2023 के अनुसार **1955 के राजस्थान अधिनियम सं0 3 की धारा 251–क का संशोधन–मूल अधिनियम की धारा 251–क की उपधारा (1) में आयी विद्यमान अभिव्यक्ति "विद्यमान मार्ग को चौड़ा करने का अधिकार मंजूर किया जाये, ऐसे प्रतिकर के संदाय पर जो विहित रीति से उपखण्ड अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाये" के स्थान पर अभिव्यक्ति "विद्यमान मार्ग को विस्तारित या चौड़ा करने का करने का अधिकार मंजूर किया जाये, ऐसे प्रतिकर के संदाय पर जो विहित रीति से उपखण्ड अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाये या प्रतिकर के संदाय की एवज में, ऐसे अभिधारी के नाम विनिमय में अधिमानतः समान कीमत की और उसकी भूमि से लगी हुई भूमि के समान क्षेत्र का अंतरण किये जाने पर," प्रतिस्थापित की जायेगी।**

माननीय राजस्व मण्डल द्वारा अनेक बार यह सिद्वान्त प्रतिपादित किया है कि धारा 251 (क) का प्रयोग उसी स्थिति में किया जाना चाहिए जबकि रास्ते का आत्यन्तिक अभाव हो। तहसीलदार रिपोर्ट तथा न्यायालय हाजा के मौका निरीक्षण से प्रमाणित है कि हस्तगत प्रकरण में रास्ते का आत्यान्तिक अभाव है। अभिभाषक प्रार्थीगण द्वारा दौराने बहस तहसील रिपोर्ट के आधार पर निर्णय का अनुरोध किया गया है।

उक्त परिस्थितियों में हम प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित पाते है।

अतः आदेश दिये जाते है कि प्रार्थीगण की आराजी पुराना खाता नम्बर 21 नया खाता नम्बर 25 खसरा सं०–393/ 433, 393/434, 393/435 तक कृषि कार्य हेतु आने जाने हेतु खसरा नम्बर 394/472, 394 में खसरा नं0 381 की मेड के सहारे अप्रार्थीगण के बने मकान एवं पेयजल परियोजना की पाईप लाइन के सरकारी वाल्व को छोड़ते प्रार्थीगण की आराजी की पहुँच तक 10 फीट चौडा मार्ग प्रदान किया जाता है।

तहसीलदार लाडपुरा को निर्देशित किया जाता है कि सर्वप्रथम रास्ते के क्षेत्र की गणना कर **1955 के राजस्थान अधिनियम सं0 3 की धारा 251–क का संशोधन** के अनुसार प्रार्थीगण की भूमि से रास्ते के उपयोग में आने वाली भूमि के **समान कीमत की भूमि का अंतरण अप्रार्थीगण की भूमि से लगी हुई भूमि में किया जावे।** तत्पश्चात् राजस्व रिकॉर्ड नक्शा एवं नक्शा लट्ठा में अमल दरामद कर नियमानुसार गैर मुमकिन रास्ते की तरमीम की जावें।

निर्णय आज दिनांक 19/3/26 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

गजेन्द्र सिंह
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
कोटा